दाने-दाने को मोहताज़ हूँ- आखिर कब मिलेगा न्याय?

» पहले बच्चे को मार दिए अब राशन-कार्ड भी विलोपित कर दिए - राजकुमार » सामाजिक न्याय संघ को पुनः दिया आवेदन

लगातार

दैनिक न्याय साक्षी में दिनांक 03 व 22 अप्रैल को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था...

न्याय साक्षी/रायगढ़। अपने आवेदन में आवेदक राजकुमार ने कहा कि मैं ग्राम किलकिला हांडीपानी लैलुंगा का निवासी हूँ । मैं गरीब आदमी हूँ , रोजी-मजूरी कर के अपने परिवार का पालन-पोषण करता हूँ। मेरे दो पुत्र बबलू पैंकरा एवं प्रकाश पैंकरा तथा एक पुत्री संतोषी है। मेरे बड़े पुत्र बबलू पैंकरा का विवाह हो चुका है, उसकी पत्नी का नाम भगवती है, तथा उसके दो पुत्र हैं। मेरा दूसरा पुत्र प्रकाश पैंकरा (जिसकी हत्या की गई) अविवाहित था। मेरी पुत्री संतोषी का भी विवाह नहीं हुआ है।

पूर्व में दिए अपने आवेदन में कहा था कि, मेरे पुत्र प्रकाश पैंकरा को सामुहिक रुप से सार्वजनिक मारपीट कर अपमानित करने और 65000/- हजार रुपये का जुर्माना भरने का दण्ड के साथ लिंग में तीन ईटा बांधकर लीलावती को गोद में उठाकर बैंड वाले के साथ गॉव में घुमाने सम्बंधी पंचायत सरपंच व अन्य के निर्णय को नहीं मानने पर फांसी लगाकर मार दिया गया है। अपने आवेदन में कहा कि, जिसके हाथ पीछे बंधे हो, वो फॉसी कैसे लगा सकता है साहब!! आप स्वयं विचार कर सकते हैं, हमारे पास गाय-गोरु जानवर भी नहीं है अतः हमारे घर में इस प्रकार की कोई रस्सी भी नहीं थीं। विदित हो कि मेरे हत्प्राण लड़के को जिस रस्सी से लटकाया गया, उस तरह की रस्सी का प्रयोग गाय-गोरु जानवर बॉधे जाने हेतु होता है, यह काम गॉव के सरपंच के द्वारा किया जाता है। पुलिस को लगातार बोलने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई थीं।

अपने आवेदन में कहा था कि, मेरे पुत्र प्रकाश की हत्या की सूचना थाना लैलूंगा में दिनांक 12/3/2019 को सुबह 11-12 बजे लगभग दिये थे, लेकिन पुलिस हमारे कथन को नहीं मान रही है, ना ही न्यायोचित जॉचकर रही है। आज पर्यंत तक पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही उपरोक्त व्यक्तियों के विरूद्ध नहीं की गई है, विदित हो कि हमारे द्वारा लगातार बोले जाने पर भी पुलिस ने अपनी मर्जी से आत्महत्या सम्बंधी बयान लिखा था, जो कि अन्याय है, अतः जब मेरे द्वारा सामाजिक न्याय संघ के माध्यम से आवेदन किया तब कहीं जाकर कार्यवाही हुई।

अपने आवेदन में कहा कि, मुझे तथा मेरे परिवार को जान समेत मारने की धमकी दी जा रही है, मेरे ऊपर यह दबाव बनाया जा रहा है, राजी-नामा कर लो, नहीं तो जो हाल तुम्हारे पुत्र के साथ हुआ है, वही हाल तुम्हारे परिवार के साथ भी करेंगे। उक्त धमकी से मैं तथा मेरा परिवार पूरी तरह भयभीत है। उपरोक्त व्यक्तियों के द्वारा मेरे साथ तथा मेरे परिवार के साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना कारित की जा सकती हैं। विदित हो कि घटना के बाद से, मैं तथा मेरा परिवार दहशत और डर के कारण गॉव में नहीं रह रहा है, यहॉ तक कि हमारे पक्ष में कोई ''सच'' बोलने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि घटना के बारे में कोई कुछ कहेगा, तो उसके उपर 25000/- रु0 का जुर्माना एवं मार-पीट का फरमान सरपंच ने कर दिया था।

कहा कि, सामाजिक न्याय संघ के प्रयास से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, जो कि अभी माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश घरघोड़ा के न्यायालय में मेरी जानकारी के अनुसार लंबित है। मैं बेहद भयभीत होकर अपनी पत्नी बसंती के साथ भटक रहा हूँ , मेरा राशन कार्ड विलोपित कर दिया गया है, जिसके कारण मुझे जीवन-जीने में बेहद परेशानी हो रही है। मेरे आधार कार्ड का नं0 583391558955 एवं मेरी पत्नी के आधार कार्ड का नं0 317261606581 है, तथा छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 एवं छत्तीसगढ़ सार्वजनिकवितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2004 के अंतर्गत जारी मेरे खाद्य अधिकार पुस्तिका राशनकार्ड का नं. 41020857700676 है, जिसे विलोपित कर दिया गया है, जिसे तत्काल प्रभाव से जारी किया जाना न्यायोचित होगा अतः इस आवेदन को प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहा कि, मुझे प्रताड़ित किए जाने के लिए सरपंच एवं उसके साथियों के द्वारा राशन-कार्ड विलोपन का उक्त कार्य किया गया है, जो कि अनुचित है।

जिसपर तत्काल कार्यवाही करते हुए सामाजिक न्याय संघ ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महोदया के साथ चीफ जस्टिस् ऑफ छत्तीसगढ़, उच्च-न्यायालय, मानवाधिकार आयोग, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, गृहमंत्री, छ0ग0 शासन, मंत्री आदिम जाति अनु0 जनजाति विकास विभाग, मंत्री महोदय, छ0ग0 शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, के साथ पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, घरघोड़ा, कलेक्टर महोदय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत लैलूँगा, एवं वरिष्ठ आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी, जनपद पंचायत लैलूँगा, को मामले का संज्ञान लेने हेतु लिखा है, और आशा व्यक्त की है कि न्यायोचित कार्यवाही होगी।

पूर्व में दिया था इस संबंध में आवेदन

सामाजिक न्याय संघ को दिए अपने आवेदन में राजकुमार ने कहा कि मेरे पुत्र प्रकाश पैंकरा को सामुहिक रुप से, सार्वजनिक मारपीट कर अपमानित करने और 65000/- हजार रुपये का जुर्माना भरने के दण्ड के साथ, लिंग में तीन ईटा बांधकर लीलावती को गोद में उठाकर बैंड वाले के साथ गॉव में घुमाने सम्बंधी पंचायत सरपंच व अन्य ने निर्णय किया था। जिसको नहीं मानने पर मेरे पुत्र को फांसी लगाकर जान से मार दिए थें। आवेदक ने बताया कि उसके सम्बंध में न्यायोचित कार्यवाही नहीं होने की लिखित शिकायत किए थें, उसके बाद राशन-कार्ड का विलोपन कर दिए हैं।

क्या थीं घटना

दिनॉक 12/03/2019 को थाना लैलुंगा के क्षेत्राधिकार तहत् घटी हत्या को आत्महत्या साबित करने की घटना के सापेक्ष में पूर्व में पीड़ित के द्वारा भेजे गए आवेदन से संदर्भित घटना।

» घरघोड़ा पुलिस की कार्यवाही

कार में शराब परिवहन करते आरोपी गिरफ्तार

न्याय साक्षी/रायगढ़। रात्रि घरघोड़ा पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना पर रात्रि करीब 20:45 बजे तमनार-घरघोड़ा रोड शैतान चौक के पास आर्टिका वाहन क्रमांक सीजी 13 यू 7141 में आरोपी संदीप सिंह राजपुत पिता स्व0 बृजभान सिंह राजपुत उम्र 36 वर्ष सा0 अमलीडीह थाना घरघोडा को अवैध शराब परिवहन करते हुये पकड़े। आरोपी के कार से अंग्रेजी गोवा शराब 27 पाव, डिस्कवरी इलाइट विस्की अंग्रेजी शराब 01 पाव, 02 पाव देशी प्लेन, 01 नग 375 एमएल (अद्धी) देशी प्लेन जुमला कीमती 2520 रूपये का शराब व अर्टिका कार जप्त किया गया है। 34(2), 59 (क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।3

मोबाइल लूटपाट के मामले में जुटमिल पुलिस ने अपचारी बालक सहित 2 आरोपी को किया गिरफ्तार

» आरोपियों से 60 हजार कीमत के 4 मोबाइल व घटना में प्रयुक्त स्कूटी जप्त » आरोपीगण जूटमिल क्षेत्र में राहगीरों को बना रहे थे निशाना

न्याय साक्षी/रायगढ़। चौकी प्रभारी जूटमिल निरीक्षक अंजना केरकेट्टा को गत दिनों जानकारी मिली की दो युवक स्कूटी पर राहगीरों से मोबाइल छीना झप्टी कर रहे हैं । लूटपाट की इस घटना से जूटमिल प्रभारी द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा त्यौहारी सीजन में आरोपियों द्वारा इस प्रकार की अन्य घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है कहकर क्षेत्र में विशेष सतकर्ता बरतने एवं शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश जुटमिल प्रभारी को दिये। एडिशनल एसपी अभिषेक वर्मा व सीएसपी अविनाश सिंह ठाकुर द्वारा घटना को गंभीरता से लेते हुए शहर के सभी थाना/चौकी प्रभारियों को त्यौहार दौरान लूटपाट, उठाईगिरी

पर विशेष ध्यान देने तथा सुरक्षा व्यवस्था हेतु सुदृढ़ पेट्रोलिंग, गस्त करने का निर्देश दिया गया। दूसरी ओर लूटपाट की वारदात के आरोपियों कि पतासाजी में सक्रिय हुई जूटमिल टी.आई. केरकेट्टा द्वारा लूटपाट के पीड़ित मोतीलाल पटेल निवासी कोतासुरा थाना पुसौर से पूछताछ कर आरोपियों के हुलिया की जानकारी ली गई। पीड़ित मोतीलाल पटेल ने आरोपियों को 18-19 साल के लड़के तथा स्कूटी में घटना को अंजाम दिए जाने की जानकारी दिया गया। जिस पर जुटमिल स्टाफ द्वारा पीडित के बताये हुलये के आरोपी एवं स्कूटी को पता तलाश किया जा रहा था कि इसी दरमियान जूटमिल पुलिस को संदिग्ध युवक एवं स्कूटी के बारे में जानकारी मिला। संदेह के आधार पर रामभाटा संजय मैदान के पास रहने वाले आकाश निषाद पिता निरंजन निषाद उम्र 19 वर्ष को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। संदेही आकाश निषाद पूर्व में भी कोतवाली में संपत्ति संबंधी अपराध में चालान हुआ था। संदेही आकाश निषाद से पूछताछ करने पर अपने नाबालिग साथी के साथ स्कूटी क्रमांक सीजी 13 ई- 8631 में जुटमिल क्षेत्र के सावित्री नगर, मिनीमाता चौक, दर्री तालाब मिट्ठूमुड़ा रोड में लूटपाट कर 04 मोबाइल प्राप्त करना बताए। आरोपी आकाश निषाद ने बताया कि लूटपाट में मिले दो मोबाइल रेड-मी नोट 7 और रेड-मी 7 को रामलीला मैदान के पास रहने वाले हेमंत कश्यप पिता अशोक कश्यप उम्र 19 वर्ष को रू.2000 -रू.2000 में बेच कर मिले पैसों को आपस में बांट लिए थे तथा एक मोबाइल विवो जेड-1 कीमती रू.12990 को अपचारी बालक अपने पास एवं एक मोबाईल रीयल-मी आकाश अपने पास रखा हुआ था । इस प्रकार आरोपियों के मेमोरेण्डम पर 04 मोबाइल कीमती लगभग रू. 60,000 बरामद कर किया गया है। घटना के संबंध में मोबाइल स्वामी 1- मोतीलाल पटेल पिता हमे प्रसाद पटेल उम्र 23 वर्ष निवासी कोतासुरा थाना पुसौर, 2- विशाल गुप्ता पिता उपेंद्र गुप्ता उम्र 22 साल निवासी राजीव गांधी नगर जूटमिल, 3- सूरज लहरे पिता पंचराम लहरें उम्र 23 वर्ष निवासी राजीव गांधी नगर जूटमिल की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली (चौकी जूटमिल) में क्रमशः अपराध क्रमांक 957, 958 एवं 959/19 धारा 392, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी (1) आरोपी आकाश निषाद, अपचारी बालक एवं लूट की सम्पत्ति खरीददार हेमंत कश्यप को गिरफ्तार किया गया है। अपचारी बालक को बाल किशोर बोर्ड तथा आरोपियों को शीघ्र सक्षम न्यायालय रिमांड पर पेश किया जावेगा।

आरोपीगण- (1) आकाश निषाद पिता निरंजन निषाद उम्र 19 वर्ष निवासी रामभाटा संजय मैदान थाना कोतवाली (2) अपचारी बालक (3) हेमंत कश्यप पिता अशोक कश्यप उम्र 19 वर्ष निवासी रामलीला मैदान के पास थाना कोतवाली।

आरोपियों से जप्त सम्पति- (1) मोबाईल स्वामी मोतीलाल पटेल का मोबाईल विवो जेड-1 कीमती 12990 रूपये, (2) विशाल गुप्ता का मोबाईल रेड मी 7 कीमती 12,000 रूपये (3) सूरज लहरे का मोबाईल रेड मी नोट 7 कीमती 12,000 रूपये (4) रीयल मी मोबाईल एवं स्कुटी।

धान विक्रय के लिए कृषकों का पंजीयन अब 7 नवम्बर तक होगा

न्याय साक्षी /रायगढ़। खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय हेतु कृषक पंजीयन कार्य 31 अक्टूबर 2019 तक समय-सीमा निर्धारित की गई थी। किसानों की सुविधा हेतु पंजीयन कार्य की तिथि आगे बढ़ाते हुए अब 7 नवम्बर 2019 तक धान विक्रय हेतु कृषकों का पंजीयन कार्य किया जाएगा।

डॉ.खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार से सम्मानित हुए खीरसागर पटेल

» कलेक्टर यशवंत कुमार ने दी बधाई

» सारंगढ़ विकासखण्ड के ग्राम-मानिकपुर के कृषक है पटेल

न्याय साक्षी /रायगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ जिले के सारंगढ़ विकासखण्ड के ग्राम-मानिकपुर निवासी खीरसागर पटेल को वर्ष 2019 का डॉ.खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित राज्योत्सव कार्यक्रम में प्रदान किया। इस अवसर पर कलेक्टर यशवंत कुमार ने खीरसागर पटेल को बधाई व शुभकामनाएं दी है।

श्री पटेल ने बताया कि कृषि ही उनके जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है। प्रारंभ में मैं केवल एक फसलीय कृषि कार्य करता था, इससे परिवार के भरण-पोषण

लायक आय ही प्राप्त हो पाती थी। अपनी कृषि कार्यो को विस्तार देने हेतु सर्वप्रथम कृषि विभाग के योजनान्तर्गत नलकूप का खनन करवाया तथा रबी मौसम में भी धान व गेहूं की फसल लेने लगा। जिससे मेरी आमदनी दोगुनी हो गई। आगे मैंने स्प्रिंकलर पद्धति सिंचाई को अपनाकर रबी मौसम में कम पानी का उपयोग करते हुए गेहूं, दलहन, तिलहन आदि फसलों का उत्पादन लिया। इस प्रकार मेरी आमदनी में वृद्धि होने लगी तथा कृषि संबंधी नवीन तकनीकों के प्रति मेरा रूझान बढने लगा। कृषि, पशुपालन एवं उद्यानिकी विभाग के विशेषज्ञों के संपर्क में आकर मैने कृषिगत फसलों में तिलहन एवं दलहन फसलों को ग्रीष्मकालीन धान के स्थान पर लगाने के साथ-साथ डेयरी एवं सब्जी उत्पादन का कार्य भी प्रारंभ किया। जिससे मैं 3 से 4 लाख रुपए की अतिरिक्त शुद्ध आमदनी अर्जित करने लगा।

आगे कृषि विभाग से मशीनीकरण योजनान्तर्गत रोटावेटर अनुदान में प्राप्त किया जिसका उपयोग रबी फसलों के भूमि तैयारी में करने लगा और उद्यानिकी फसलों का रकबा भी बढ़ाते हुए अधिक सब्जियां उगाने लगा। इस प्रकार मैने कृषि, उद्यान एवं पशुपालन विभाग की योजनाओं के अनुसार कार्य करते हुए मेरी आमदनी लगभग 9 लाख रुपए हो गई। पशुपालन से प्राप्त गोबर एवं गौमूत्र से बायो गैस ईंधन तथा जैविक कम्पोस्ट बनाने लगा। जिससे कृषि लागत में लगभग 10 प्रतिशत की कमी आयी जो अतिरिक्त आय के रूप में मुझे प्राप्त हुई। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से घर के छत में जैविक खाद का प्रयोग करते हुए सब्जियां उगाकर अच्छा उत्पादन प्राप्त किया। मैने पंखा एवं तेल टीना से ऐसा मॉडल तैयार किया है जिसका उपयोग मैं खेत से जंगली-जानवर तथा पक्षियों को भगाने में करता हूं। जिससे मेरा नुकसान कम हो गया है और रात में खेत की देखरेख भी नहीं करनी पड़ती है।

सोई हुई महिला से छेड़खानी, जुर्म दर्ज

न्याय साक्षी /रायगढ़। थाना धरमजयगढ़ में महिला द्वारा छेड़खानी के संबंध में दिये गये आवेदन पत्र से आरोपी गंगा राम महकुल के विरूद्ध छेड़खानी का अपराध दर्ज किया गया है। पीड़िता ने बताया कि दिनांक 18.10.2019 को अपने भाई के घर में शाम करीब 05.00 बजे बिस्तर पर लेटी हुई थी। गांव का गंगाराम महकुल घर आया हुआ था जो सोये अवस्था में पहने कपड़ो को बुरी नियत से खींच रहा था। तब जागकर अपने भाई को घटना बतायी तो गांव में मीटिंग करेंगे कहकर इसे रिपोर्ट करने नहीं जाने दे रहे थे। उसके बाद पीड़िता द्वारा गंगाराम के विरूद्ध कार्यवाही के लिये आवेदन थाना धरमजयगढ़ में दिया गया जिस पर आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 218/19 धारा 354 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

भूपदेवपुर पुलिस द्वारा अवैध शराब की सूचना पर दी गई दबिश, देशी/विदेशी शराब जप्त

न्याय साक्षी/रायगढ़। भूपदेवपुर पुलिस द्वारा दिनांक 01/11/19 को ग्राम कोडतराई के सोहन लाल पटेल अपने घर आंगन में अवैध शराब बिक्री करने के लिये रखे होने की सूचना पर शराब रेड कार्यवाही किया गया।

रेड में 10 पाव अंग्रेजी शराब, 20 पाव देशी प्लेन शराब जुमला कीमती 2370/- रूपये का शराब जप्त किया गया है। आरोपी के विरूद्ध धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO Ñ- CHHHIN/2018/76480